न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा

राज्य बनाम यामीन आदि

मु0अ0सं0—606/2017
धारा—457,380,411 भा0दं0सं0
थाना—ठाकुरद्वारा

05.12.2018

अभियुक्त सलीम की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0—606/2017 धारा—457,380,411 भा0दं0सं0 थाना—ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र पर सुना, अभियोजन आख्या एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन द्वारा अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया।

अभियुक्त पर वादी मुकदमा के घर से सोने चॉदी के जेबरात व 25000/—रू0 चुराकर ले जाने का आरोप है। मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अभियुक्त सलीम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र धारा—380,457,411 भा0दं0सं0 में निरस्त किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा